न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी– डॉ एस0पी0सिंह (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या– 27/2016

बउनवान

1– कमलाबाई आयु 58 वर्ष पुत्री श्री भॅवरलाल पत्नी श्री रामकिशन
2– सुन्दरबाई आयु 60 वर्ष पुत्री श्री भॅवरलाल पत्नी श्री शंकरलाल
जाति–माली निवासीगण–बारां जिला–बारां (राज0)

(अपीलांट्स)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

बनाम

1– पुष्पाबाई पत्नी गंगाराम जाति–माली निवासी–बारां
2– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, बारां

(रेस्पोंडेंट्स)

अपील विरूद्व तहसीलदार,बारां द्वारा तस्दीकी इन्तकाल संख्या 937 दिनांक 08.02.2016 वाके ग्राम बारां अन्तर्गत धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :–1. श्री महेशप्रकाश गौतम, अभिभाषक **(अपीलांट)**
2. श्री घनश्याम अग्रवाल, अभिभाषक **(रेस्पोंडेंट)**

न्यायालय जिला कलक्टर बारां (राज०)

निर्णय दिनांक– 21.02.2018

अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा तस्दीकी नामान्तकरण संख्या 937 दिनांक 08.02.2016 वाके ग्राम बारां से अप्रसन्न होकर अपील अन्तर्गत धारा–75 भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत प्रस्तुत कर अपील में अंकित किया है कि खातेदार धन्नालाल वल्द भॅवरलाल जो अपीलांट्स का सगा भाई था के 1/2 हिस्से की खातेदारी आराजी का इन्तकाल खोला गया है जिसके खसरा नम्बर 1756 रकबा 0.03 है0, ख0नं0 2083 रकबा 0.09 है0, ख0नं0 2090 रकबा 0.10, ख0नं0 2094 रकबा 0.15 है0, ख0नं0 2095 रकबा 0.08 है0, ,ख0नं0 2098 रकबा 0.14 है0, ख0नं0 2129 रकबा 0.04 है0 कुल 7 किता रकबा 0.63 है0। उक्त आराजी धन्नालाल व उसके भाई गंगाराम को उनके पिता भॅवरलाल से प्राप्त हुई थी। अपीलांट्स भॅवरलाल की जाइन्दा पुत्रियॉ है जिनका उक्त आराजी में समान हक हिस्सा है। उक्त आराजी पैतृक सम्पत्ति होने से भी अपीलांट्स का उपरोक्त वर्णित आराजियात् में धन्नालाल, गंगाराम के साथ–साथ बराबर का हक हिस्सा है।

रेस्पों0 क्रम–2 तहसीलदार, बारां ने रेस्पों0 क्रम–1 द्वारा दिनांक 16.2.2015 को आवेदन प्रस्तुत करने पर उसके पक्ष में वसीयत धन्नालाल द्वारा किया जाना फौरी तोर पर जॉच कर, धन्नालाल की वसीयत दिनांक 31.12.2010 के आधार पर रेस्पों0 क्रम–1 पुष्पाबाई के नाम उसके हिस्से की आराजी का इन्तकाल खोला गया है जो निरस्त योग्य है। उक्त वसीयत कतई फर्जी है जिसकी जॉच अधीनस्थ न्यायालय ने सहीं प्रकार से नहीं की है। दिनांक 31.12.10 की वसीयत का कोई वर्णन प्रा0पत्र में नहीं किया गया है। वसीयत विधि अनुसार निष्पादित भी नहीं की है तथा उसपर धन्नालाल का अंगूठा निशानी भी किसी के द्वारा प्रमाणित नहीं है। उक्त वसीयत प्रथम दृष्टया हीं फर्जी होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

धन्नालाल की पत्नी को नाता जाना बताया है जिसका कोई प्रमाण नहीं है। धन्नालाल लाऔलाद फौत है तो उसका हिस्सा अपीलांट्स को प्राप्त होना चाहिये था। उक्त आराजी पैतृक है इसलिये 1/2 हिस्से की आराजी की वसीयत करने का धन्नालाल को वैधानिक अधिकार नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर कतई गौर नहीं किया कि वसीयत विधि अनुसार अटेस्टेड नहीं है, फिर भी वसीयत पर विश्वास कर इन्तकाल खोला गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश व इन्तकाल तस्दीक करने से पूर्व अपीलांट को विधिवत सुनवायी का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया है, उन्हे अपना पक्ष रखने से वंचित रखा गया है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का इन्तकाल सं0 937 दिनांक 08.02.2016 निरस्त करवाया जावें।

इसपर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। रेस्पोंडेंट को जर्ये सम्मन तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख तलब किया गया। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय से मूल अभिलेख प्राप्त होने पर, विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स व रेस्पोंडेंट की बहस सुनी गयी।

बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि खातेदार धन्नालाल पुत्र भॅवरलाल के खातेदारी में विवादित आराजी खसरा नम्बर 1756 रकबा 0.03 है0, ख0नं0 2083 रकबा 0.09 है0, ख0नं0 2090 रकबा 0.10 है0, ख0नं0 2095 रकबा 0.08 है0, ,ख0नं0 2098 रकबा 0.14 है0, ख0नं0 2129 रकबा 0.04 है0 कुल 7 किता रकबा 0.63 है0 हिस्सा 1/2 दर्ज है। अपीलांट्स भॅवरलाल जी की जायन्दा पुत्री है तथा खातेदार धन्नालाल की सगी बहिने है। अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पों0 क्रम–1 पुष्पाबाई के प्रार्थनापत्र दिनांक 16.2.2015 धन्नालाल का फोती इन्तकाल दर्ज करने हेतु पेश करने पर, धन्नालाल की फर्जी तहरीरी अनरजिस्टर्ड लिखावट/वसीयत दिनांक 31.12.2010 को वसीयत मानकर, उसके हक व हिस्से की आराजी हिस्सा 1/2 को रेस्पो0 के पक्ष में दर्ज करने के दिनांक 24.11.2015 को आदेश पारित किये गये है। उक्त आराजी पैतृक है, जो पिता भॅवरलाल जी से धन्नालाल को प्राप्त हुई है। पैतृक सम्पत्ति की वसीयत करने का धन्नालाल को कोई अधिकार नहीं है। अपीलांट्स मृतक धन्नालाल की सगी बहिने है। धन्नालाल लाओलाद फोत हुआ है। इसलिये उसके हक व हिस्से की आराजी में अपीलांट्स का बराबर–बराबर हिस्सा है। उक्त वसीयत पूर्णतया फर्जी व धन्नालाल के मरने में बाद तैयार की गयी है। वसीयत अनरजिस्टर्ड नोटरी से प्रमाणित है, इसकी वैधता की कोई जॉच व तफतीश नहीं की गयी है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वसीयत की प्रमाणिकता व सिद्ध करने से लिये वैधानिक व जायज वारिसान या परिवार के सदस्य की साक्ष्य शहादत नहीं ली है। अपीलांट्स अभिभाषक ने अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका दिनांक 31.8.2015 का अवलोकन कराते हुये व्यक्त किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट की आदेशिका पर उपस्थिति दर्शित की गयी है। जबकि अपीलांट्स को तलब हीं नहीं किया गया। फर्जी तरीके से रेस्पों0 की मिलीभगत से उपस्थिति दिखायी है, जबकि अपीलांट्स या उनके प्लीडर कभी भी अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए है।

साथ हीं यह भी निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने हल्का पटवारी की रिपोर्ट एवं मात्र रेस्पों0 के बयान के आधार पर हीं उक्त वसीयत को वैध

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

मानकर आदेश पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश पारित करने से पूर्व पुष्टि नहीं की धन्नालाल की पत्नि कब नाता गयी। अधीनस्थ न्यायालय ने केवल मात्र पुष्पाबाई के कथन को हीं पुष्ट मानकर, धन्नालाल के हक व हिस्से की आराजी हिस्सा 1/2 को रेस्पों0 के पक्ष में इन्तकाल तस्दीक करने के आदेश पारित किये है। विवादित आराजी विरासतन है। अपीलांट्स उक्त आराजी को प्राप्त करने की विधिक अधिकारी है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वैधानिक वारिसों की जॉच व सुनवाई किये बिना हीं उक्त इन्तकाल तस्दीक किया गया है जो कानूनी रूप से पूर्णतया अवैध व शून्य किये जाने योग्य है।

अभिभाषक अपीलांट ने यह भी कथन किया है उक्त वसीयत फर्जी व कूटरचित तरीके के तैयार की गयी है। वसीयत अनरजिस्टर्ड या नोटेरी प्रमाणित है। अधीनस्थ न्यायालय ने आनन फानन में अपीलांट्स जो भॅवरलाल जी जायन्दा पुत्री व धन्नालाल की सगी बहिनें है। इनको विधिवत सुनवाई, साक्ष्य शहादत का अवसर दिये बिना, बिना वसीयत प्रमाणितता के एकपक्षीय आदेश पारित किया है तथा इसी आदेश दिनांक 24.11.2015 की पालना में इन्तकाल तस्दीक किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश व तस्दीकी इन्तकाल पूर्णतया विधि विरूद्व, एकतरफा होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 24.11.2015 एवं तस्दीकी इन्तकाल संख्या 937 दिनांक 09.02.2016 निरस्त फरमाया जावे।

इसके विपरीत विद्वान रेस्पोंडेंट क्रम–1 अभिभाषक ने अपीलांट्स अभिभाषक के कथन का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि धन्नालाल जी द्वारा रेस्पों0 के पक्ष में दिनांक 31.12.2010 को वसीयत तहरीर की गयी थी। रेस्पों0 ने धन्नालाल जी की मुत्यु के बाद अधीनस्थ न्यायालय ने फौती इन्तकाल दर्ज करने हेतु दिनांक 16.2.2015 को प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया था जिसपर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत वसीयत की जॉच व साक्ष्य के आधार पर, रेस्पों0 धन्नालाल जी की वसीयत वैधानिक उत्तराधिकारी प्रमाणित होने के पश्चात् धन्नालाल जी के हिस्से की आराजी उनके खाते दर्ज करने के आदेश पारित किये गये है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वसीयती आदेश पारित करने से पूर्व हल्का पटवारी व परिवार के सदस्यों की साक्ष्य ली गयी है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट्स को भी तलब किया गया था, किन्तु अपीलांट्स अधीनस्थ न्यायालय में बावजूद सूचना अनुपस्थित रहीं है। नामान्तकरण वसीयत के आधार पर तस्दीक किया गया है जो गवाहों के बयानों व सबूतों से प्रमाणित है। अपीलांट्स धन्नालाल जी की बहिनें है जिन्हे लिगल हियर नहीं माना जा सकता। अपीलांट्स का उक्त आराजी पर कब कोई अधिकार नहीं बनता है। यदि इन्हे उक्त आराजी पर अधिकार जताना था तो पिता भॅवरलाल सन् 1977 में मरे, तब करना चाहिये था। चूकि वर्तमान में खातेदार बदल चुके है। इतने वर्षो के बाद अपीलांट्स को अपना हक व हिस्सा बाबत उज्र करने का कोई वैधानिक अधिकार नहीं है।

साथ हीं कथन किया है कि उक्त इन्तकाल वसीयत के आधार पर तस्दीक किया गया है। धन्नालाल जी के कोई ओलाद नहीं थी, वह लाओलाद फोत हुए है। धन्नालाल जी उनके जीवनकाल में रेस्पों0 के पास हीं रहे है। उनकी अवेर सवेर, सेवा रेस्पों0 द्वारा हीं की गयी थी। इससे प्रसन्न होकर धन्नालाल जी द्वारा

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

दिनांक 31.12.2010 को वसीयत तहरीर की गयी थी जो प्रमाणित है। अपीलांट्स ससुराल में निवास करती है। अब इनके मन में बदयान्ति आ गयी है। चूकि वर्तमान में खातेदार बदल चुके है इसलिये इतने वर्षो के पश्चात् अपीलांट्स को उक्त आराजी बाबत उज्र करने का कोई वैधानिक अधिकार नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत रूप से वसीयत की जॉच व प्रमाणिकता के आधार पर उक्त आराजी को उसके खाते दर्ज करने के आदेश पारित किये है,जिसकी पालना में उक्त इन्तकाल तस्दीक किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश व इन्तकाल में कोई विधिक त्रुटि नहीं है। अतः अपीलांट की अपील ग्राहय योग्य नहीं होने से अपील खारिज फरमायी जावें।

हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स व रेस्पोंडेंट की बहस सुनी। पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया तथा बहस पर मनन किया। बहस के दौरान अभिभाषक अपीलांट्स का मुख्य तर्क है कि विवादित आराजी पैतृक सम्पत्ति है, जिसमें समान हिस्सा है। धन्नालाल को वसीयत करने का अधिकार नहीं है। रेस्पों0 द्वारा वसीयत फर्जी तरीके से तैयार की गयी है तथा अधीनस्थ न्यायालय ने वसीयत की जॉच व वैधानिक वारिसान को सुनवाई का कोई अवसर नहीं देकर, एकपक्षीय आदेश पारित किया गया है। इसके विपरीत रेस्पों0 अभिभाषक का मुख्य तर्क है धन्नालाल जी ने उनके पक्ष में वसीयत तहरीर की थी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वसीयत की विधिवत जॉच व वैधानिक वारिसान् की सुनवाई कर, वसीयत वैध व सहीं पाये जाने पर धन्नालाल जी की आराजी खाते दर्ज करने का आदेश पारित किया है। इस परिपेक्ष्य में पत्रावली के अवलोकन से पाया जाता है कि विवादित आराजी भॅवरलाल के खातेदारी की भूमि है, जो विरासतन गंगाराम, धन्नालाल को प्राप्त हुई है। प्रकरण में विवाद धन्नालाल के खातेदारी आराजी हिस्सा 1/2 की वसीयत का है जिसे अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा रेस्पों0 के प्रार्थनापत्र पर वसीयत दिनांक 31.12.2010 के आधार पर, रेस्पों0 कम–1 पुष्पाबाई के दर्ज करने के आदेश पारित किये गये है तथा उक्त आदेश की पालना में नामान्तकरण तस्दीक किया गया है।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से पाया जाता है कि तहरीरी वसीयत अनरजिस्टर्ड है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थीयॉ पुष्पाबाई के वसीयती प्रार्थनापत्र पर हल्का पटवारी की रिपोर्ट 20.8.2015 के अनुसार जीवित वारिसान् व वसीयत के साक्षी गवाह को सुनवाई हेतु तलब किया गया है। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट्स जो धन्नालाल की बहिन है, जिसको अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेशिका दिनांक 31.8.2015 पर न्यायालय हाजा में उपस्थित बताया गया है। जबकि अपीलांट्स ना तो स्वंय उपस्थित हुई है ना हीं उनकी ओर से कोई प्लीडर उपस्थित हुए है। अपीलांट्स के उपस्थिति के कोई प्रमाण नहीं है। कमलाबाई व सुन्दरबाई के नोटिस की प्रोपर तामील भी नहीं हुई है। इस प्रकार स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट्स को सुनवाई हेतु कोई अवसर नहीं दिया गया है। जबकि अनरजिस्टर्ड वसीयत को तभी वैध माना जा सकता है, जब उसकी गहनता से जॉच कर ली गयी हो तथा न्यायालय द्वारा साक्ष्य व परीक्षण कर, सिद्ध किया गया हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में इसका अभाव पाया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मात्र वसीयत हर्ता रेस्पों0 पुष्पाबाई व वसीयत के गवाह के बयानों के आधार पर उक्त वसीयत को वैध मानकर, धन्नालाल की विरासतन आराजी को रेस्पों0

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

के खाते दर्ज करने के आदेश पारित किये है। जबकि अपील में यह भी विदित हो चुका है कि धन्नालाल की शादी हुई है, जिसकी विवादित पत्नी नाता गयी है, इस कथन भी कोई जॉच व पुष्टि नहीं की गयी है।

इस प्रकार स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वसीयती आदेश पारित करने से पूर्व वैधानिक जीवित वारिसान् को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया है। आनन फानन में वसीयत की जॉच व बिना साक्ष्य शहादत किये ही, मात्र वसीयतहर्ता व एक गवाह की साक्ष्य लेकर, धन्नालाल की वसीयत को सहीं मानकर, खातेदारी की वर्णित आराजी हिस्सा 1/2 को रेस्पों0 के पक्ष में दर्ज करने के आदेश पारित किये गये है। अधीनस्थ न्यायालय का उक्त आदेश पूर्णतया विधि विरूद्व है। अधीनस्थ न्यायालय को आदेश पारित करने से पूर्व वैधानिक वारिसान् को सुनवाई व साक्ष्य शहादत का समुचित अवसर प्रदान करना आवश्यक है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एकपक्षीय आदेश पारित में विधिक भूल की गयी है जो कानूनी प्रावधानानुसार निरस्त किये जाने योग्य है।

परिणामस्वरूप, अपीलांट की अपील आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित वसीयती आदेश दिनांक 24.11.2015 एवं आदेश की पालना में तस्दीकी नामान्तकरण संख्या 937 दिनांक 08.02.2016 वाके ग्राम बारां निरस्त किया जाता है। पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में धन्नालाल के वैधानिक वारिसान् की जॉच कर, वारिसान् या जीवित पक्षकारान् को सुनवाई का समुचित अवसर कर, साक्ष्य व सबूत से वसीयत की प्रमाणिकता सिद्ध कर, धन्नालाल के खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 1756 रकबा 0.03 है0, ख0नं0 2083 रकबा 0.09 है0, ख0नं0 2090 रकबा 0.10 है0, ख0नं0 2094 रकबा 0.15 है0, ख0नं0 2095 रकबा 0.08 है0, ख0नं0 2098 रकबा 0.14 है0, ख0नं0 2129 रकबा 0.04 है0 कुल 7 किता रकबा 0.63 है0 वाके ग्राम बारां हिस्सा 1/2 को नियमानुसार खाते दर्ज करने के आदेश पारित किये जावे। पक्षकारान् को पाबन्द किया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां के समक्ष दिनांक 12.03.2018 को उपस्थित होवें।

निर्णय आज दिनांक 21.02.2018 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ0 एस.पी.सिंह)
जिला कलक्टर,बारां
जिला कलक्टर
बारां (राज0)